न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 101 / 2021

अनवान : –

1. शंकरदास पुत्र मोमनदास जाति स्वामी निवासी फेफाना तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. कपील देव पुत्र मोमनदास जाति स्वामी निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. सुरजभान पुत्र मोमनदास जाति स्वामी निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
4. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता **सायल**
श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **गैरसायलान**

निर्णय दिनांक: 4/4/23

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है की सायल व गैरसायल स0 1 ता 3 के पिता मोमनदास की खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता स0 55 की कुल तादादी 9.1080है0 भूमि मय गै0मू0 रास्ता एवं रोही मौजा 6 केएनएन के खाता स0 17 की कुल 7.3370है0 भूमि मय गै0मु0 रास्ता खातेदारी कृषि भूमि है।

मोमनदास के कुल चार पुत्र सायल व दावा में दर्ज प्रतिवादी स0 2, गैरसायल स0 2 ता 3 हुए । गैरसायल स0 1 व 2 साधन सम्पन्न हो गयें है इसलिए पिता की अन्तिम इच्छा थी कि गैरसायल स0 1 व 2 के साधन सम्पन्न होने के कारण अपनी सारी चल व अचल सम्पति की वसीयत सायल व दावा में दर्ज प्रतिवादी न0 3 के पक्ष में कर दू। सायल व दावा में दर्ज प्रतिवादी स0 2 , गैरसायल स0 2 ता 3 के पिता मोमनदास द्वारा दिनांक 19.10.1983 को बरोबरू गवाहन स्वस्थचित बिना दवाब बहकावे एक वसीयत कर दी की तमाम चल व अचल सम्पति के मालिक मृत्यु के पश्चात सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादी स0 3 दयाराम हों। मोमनदास की मृत्यु 1984 में हो गई थी गैरसायल स0 1 को वसीयत का ज्ञान था फिर भी विरासतन इंतकाल दर्ज करवाकर बहिनों की दस्तबदारी करवाकर सायल व दावा में दर्ज प्रतिवादी स0 3, गैरसायल स0 2 ता 3 के बहिब राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा लिया। गैरसायल स0 1 उक्त वाद भूमि को अब विक्रय करने की फिराक में है तथा वाद भूमि को खुर्द बूर्द करना चाहता है जिससे सायल को अपूर्णीय क्षति होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:56:08 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन [illegible] गैरसायलान के खिलाफ इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावे कि रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता स0 55 की कुल

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

तादादी 9.1080है0 भूमि मय गै0मू0 रास्ता एवं रोही मौजा 6 केएनएन के खाता स0 17 की कुल 7.3370है0 भूमि मय गै0मु0 रास्ता को गैरसायलान रहन/बैय व मुन्तकिल करने से निषिद्ध रहें एवं मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता स0 55 की कुल 9.1080है0 भूमि मय गै0मू0 रास्ता एवं रोही मौजा 6 केएनएन के खाता स0 17 की कुल 7.3370है0 भूमि की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाएं रखें।

अप्रार्थी स0 1 की और से अधिवक्ता श्री मांगेराम गोदारा ने वकालतनामा पेश किया। नोटिस सम्यक रूप से तामिल होने के उपरान्त भी न तो प्रतिवादी स0 2 स्वयं उपस्थित हुए और नही उनकी और से कोई विधिक पेरोकार उपस्थित हुआ। बार बार आवाज लगाई गई लेकिन प्रतिवादी स0 2 की तरफ से कोई उपस्थित नही हुआ अतः प्रतिवादी स0 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थी स0 1 की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पेश हुआ। जवाब प्रार्थना पत्र मे प्रार्थना पत्र की मदों को अस्वीकार करते हुए जवाब में अंकित किया की उक्त भूमि की वसीयत जो गैरसायल के पिता ने करवाई थी वो दिनांक 2.10.1984 को उप पंजीयक नोहर में खारिज हो चुकी है तथा उक्त वसीयत खारिज होने के बाद हमने उक्त भूमि का बंटवारा भी कर लिया है जिसमें शंकरलाल के हस्ताक्षर है तथा शंकरलाल ने वसीयत खारिज होना स्वीकार किया है। इसलिए सायल को उक्त दावा व दरख्वास्त पेश करने का अधिकार नही है। उक्त भूमि का नामान्तरण सायल व गैरसायल की सहमति से मुताबिक बंटवारा करवाया गया है तथा गैरसायल स0 2 सुरजभान ने अपना हक हिस्सा कपीलदेव के पक्ष बैय कर दिया है तथा उसका इस भूमि में कोई हक हिस्सा नही है और ना ही उसकी उपस्थिति व जवाब की आवश्यकता है। सायल को उक्त वसीयतनामा खारिज होने का ज्ञान है तथा नामान्तरण सायल की सहमति से दर्ज हुआ है। अतः जवाब प्रार्थना पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र खारीज फरमावें।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया व विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 212 के अन्तर्गत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन किसके पक्ष में है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी 3 बारानी सम्वत् 2073–2076 खाता न0 55/41 व चक 6 केएनएन सम्वत् 2073–2076 खाता न0 17/17 में गैरसायलान रिकार्डेड खातेदार है। सायल ने उक्त रिकार्डेड खातेदार के खिलाफ अपने पक्ष में मोमनदास द्वारा दिनांक 19.10.1983 को की गई वसीयत को आधार बनाकर निषेधाज्ञा चाही है। सायल ने वसीयत की प्रमाणित कॉपी की चित्रप्रति प्रस्तुत की है। गैरसायल ने उक्त वसीयत दस्तावेज के खंडन में दस्तावेज मन्सुखी वसीयतनामा की प्रमाणित प्रति [illegible] दस्तावेज मन्सुखी वसीयतनामा के अवलोकन से जाहिर होता है कि वसीयतकर्ता मोमनदास ने वसीयत दिनांक 19.10.1983 को दिनांक 19.10.84 को मन्सुख (निरस्त) कर दिया था। ऐसे भी विवादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारो की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होते है। जमाबंदी में गैरसायलान का रिकार्डेड

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:56:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

खातेदार दर्ज होना व सायल के पक्ष में हुई वसीयत का निरस्त होना दोनों तथ्य गैरसायलान के पक्ष में साबित होने के कारण प्रथम दृष्टया मामला भी गैरसायलान के पक्ष में बनता है। प्रथम दृष्टया मामला गैरसायलान के पक्ष में होने के कारण सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति भी गैरसायलान के पक्ष में साबित होता है, क्योंकि अगर निषेधाज्ञा जारी होती है तो रिकार्डेड खातेदार होने के कारण सबसे अधिक असुविधा व अपूर्णीय क्षति गैरसायलान को ही होगी।

इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है इसलिए अप्रार्थीग्ण जो की रिकार्डेड खातेदार है को निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम काबिल खारिज होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 4/4/23 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:56:08 IST
Reason: SelfAttested